2017 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।
3. व्यावृत्तियाँ

अनुसूची।

2017 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 है।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का इसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

व्यावृत्तियाँ।

3. इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति,—

(क) का निरसन किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या

(ख) के निरसन से पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या माँग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) के निरसन का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति

या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युतपन्न क्यों न हो; या

(घ) के निरसन का प्रभाव संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

वर्ष 1	संख्यांक 2	संक्षिप्त नाम 3	निरसन का विस्तार 4
1993	17	हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1993	सम्पूर्ण
1993	18	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1993	सम्पूर्ण
1993	56	हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1993	सम्पूर्ण

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उन अधिनियमितियों का निरसन किया जाना प्रस्तावित है जिनका महत्त्व समाप्त हो गया है या जो अप्रचलित और अनावश्यक हो गई हैं या जिनका पृथक्, स्वतन्त्र और विशेष अधिनियमों के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक हो गया है। ऐसे निरसन का मुख्य उद्देश्य स्पष्टता लाने के लिए कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना है। ये विधियां या तो असंगत हो गई हैं या अप्रक्रियात्मक हो चुकी हैं और विशेषतया अपना प्रयोजन पूर्ण कर चुकी हैं तथा उनकी सार्थकता समाप्त हो गई है। इसलिए, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से विधेयक की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तीन विनियोग (लेखानुदान सहित) अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 को लाने का विनिश्चिय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :.............................., 2017.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(डा0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :......................................, 2017.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2017

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Repeal of certain enactments.
3. Savings.

THE SCHEDULE.

Bill No. 9 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2017. Short title.

2. The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed to extent mentioned in the fourth column thereof. Repeal of certain enactments.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not,— Savings.

(a) affect, any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or

appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

Year 1	No. 2	Short title 3	Extent of Repeal 4
1993	XVII	The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1993.	The whole
1993	XVIII	The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1993.	The whole
1993	LVI	The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1993.	The whole

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statue book to bring in clarity. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective it has been decided to bring the Himachal Pradesh Repealing Bill, 2017 to repeal three Appropriation Acts (including Vote on Account) as specified in THE SCHEDULE to the Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA:

The.............................., 2017.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2017

A

BILL

to repeal certain enactments.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(DR. BALDEV SINGH)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

The.........................., 2017.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—928–जुड0 / 2017—18–8–2017—250 प्रतियां।